संख्या-832/1-10-2014-12(34)/13 टी.सी.।

प्रेषक,

लीना जौहरी,

सचिव एवं राहत आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी

श्रावस्ती ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 07 नवम्बर, 2014

विषय वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना हेतु अवशेष धनराशि का राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद श्रावस्ती में वर्ष 2013-14 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु शासनादेश संख्या-3377/1-10-2013-12(34)/13टी.सी., दिनांक 19.11.2013 द्वारा मण्डल स्तरीय आपदा राहत समिति से अनुमोदित लोक निर्माण विभाग के 09 कार्यों एवं सिंचाई विभाग के 01 कार्य अर्थात कुल 10 कार्यों हेतु प्रथम किश्त की धनराशि रू0 4,94,21,000/- आवंटित की गयी थी। अब आपके पत्र संख्या-1708/आपदा/13-14, दिनांक 24-08-2014 द्वारा किये गये अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुये उक्त 10 कार्यों हेतु अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 **4,94,21,000/- (कुल रूपये चार करोड़ चौरानबे लाख इक्कीस हजार मात्र)** द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

कमांक	विभाग का नाम	कार्यों का विवरण	धनराशि (लाख रू0 में)	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)
1	प्रा0ख0लो0 नि0वि0, श्रावस्ती	पाण्डेयपुर इकौना मार्ग के किमी0 15 में भोजपुर नाले पर 10×6.00 मी0 आर0सी0सी0 लघु सेतु का पुर्ननिर्माण।	192.93	96.465
2	प्रा0ख0लो0 नि0वि0, श्रावस्ती	लक्ष्मनपुर ककराघाट मार्ग के किमी0 10 में स्थित 6×6.00 मी0 आर0सी0सी0 लघु सेतु के मरम्मत/पुर्नस्थापना का कार्य।	142.96	71.48
3	प्रा0ख0लो0 नि0वि0,	पाण्डेयपुर इकौना मार्ग के किमी0 6	115.76	57.88

	श्रावस्ती	में 6×6.00 मी0 आर0सी0सी0 लघु सेतु का पुर्ननिर्माण।		
4	प्रा0ख0लो0 नि0वि0, श्रावस्ती	नौबस्ता से केशवापुर सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/पुर्नस्थापना का कार्य।	99.83	49.915
5	प्रा0ख0लो0 नि0वि0, श्रावस्ती	ककरदरी चौधरीडीह मार्ग के किमी0 14, 15 एवं 16 के मरम्मत/ पुर्नस्थापना का कार्य।	52.00	26.00
6	प्रा0ख0लो0 नि0वि0, श्रावस्ती	भिनगा भचकाही मार्ग के किमी0 6 से 12 के मरम्मत/ पुर्नस्थापना का कार्य।	73.54	36.77
7	प्रा0ख0लो0 नि0वि0, श्रावस्ती	केशवापुर से मझौवा सम्पर्क मार्ग पर 3×6.00 मी0 एवं 1×6.00 मी0 लघु सेतु के मरम्मत/पुर्नस्थापना का कार्य।	99.06	49.53
8	प्रा0ख0लो0 नि0वि0, श्रावस्ती	भिनगा से राजापुर रानी होते हुये भभरा से बांसकुरी सम्पर्क मार्ग के किमी0 1 से 5 में मरम्मत/पुर्नस्थापना का कार्य।	60.39	30.195
9	प्रा0ख0लो0 नि0वि0, श्रावस्ती	लक्ष्मनपुर सिरसिया मार्ग के किमी0 1, 7 के आबादी भाग एवं किमी0 10 के मरम्मत/ पुर्नस्थापना का कार्य।	62.10	31.05
		योग	**898.57**	**449.285**
10	स0न0ख0–प्रथम बहराइच।	जनपद श्रावस्ती में कलकलवा मार्जिनल बन्ध के किमी0 5.300 से 12.550 के मध्य मेटल रोड की मरम्मत का कार्य।	89.85	44.925
		महायोग	**988.42**	**494.21**

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूव होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक '' 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा ।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुन: यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जॉच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/12, दिनांक 25.10.2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार

संख्या-यू0ओ0-1 [illegible]-2013-ना0-11 दिनांक 04.03.2013 के दिए गए दिशा-निर्देश के अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीया,

(लीना जौहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या: 832(1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
7- उप निदेशक सामान्य एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी श्रावस्ती।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)

अनु सचिव।